जो पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक, निमाज की नजरी नक्शा मौका रिर्पोट में मार्क ए,बी,सी,डी से दर्शाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुये खसरा नम्बर 1122 में से प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता लम्बाई 63 मीटर व चौड़ाई 09 मीटर है कुल 567 वर्गमीटर वर्गमीटर है, को गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाना एवं जिसके प्रतिकर राशि स्वरुप राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के प्रावधान अनुसार प्रचलित डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि अर्थात बाजार मूल्य के मद्देनजर ग्राम निमाज प्रथम की उक्त सरकारी भूमि की अधिकतम डीएलसी रेट वर्तमान डी.एल.सी. दर की दो गुणा (2.0) मानते हुए कुल मुआवजा राशि 567 वर्गमीटर ×310 रुपये = 175770/- रुपये राउण्ड ऑफ 175800/- एक लाख पिचहतर हजार आठ सौ रुपये निर्धारित की जाकर उक्त राशि जो प्रार्थी से प्राप्त की जाकर अप्रार्थीगण को भुगतान की जानी है तथा उक्त प्रस्तावित भूमि को गैर मुमकिन रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ग्राम निमाज, पटवार हल्का निमाज प्रथम, तहसील-जैतारण जिला-ब्यावर के खसरा नंबर 1123 रकबा 1.6835 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल तक पहुँच मार्ग के लिये न्यूनतम एवं निकटतम अभिलिखित रास्ता खसरा संख्या 1122 रकबा 1.0441 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में से लम्बाई 63 मीटर व चौड़ाई 9 मीटर है कुल 567 वर्गमीटर का रास्ता पटवारी, पटवार हल्का निमाज प्रथम व भू अभिलेख निरीक्षक निमाज के द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरुप खसरा नम्बर 1122 रकबा 1.0441 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में सें 567 वर्गमीटर भूमि कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता भूमि की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर अर्थात् 155/- रुपये प्रति वर्गमीटर की दुगुनी मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल 567 वर्गमीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि 175800/- अक्षरे एक लाख पिचहतर हजार आठ सौ रुपये मात्र निर्धारित करते हुए तहसीलदार, जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर खसरा नम्बर 1122 के खातेदारान् को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि के अनुपात में भुगतान करनें का निर्देश दिया जाता है। खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करनें पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं

04.11.2025
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

होगा। तहसीलदार, जैतारण भू–अभिलेख में अमल–दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। पटवारी, पटवार हल्का– निमाज प्रथम एवं भु अभिलेख निरीक्षक– निमाज द्वारा तैयार दिनांक 12.08.2025 को प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट इस आदेश का भाग होगी। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हों। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला–ब्यावर)
जैतारण (ब्यावर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक **04/11/2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला–ब्यावर)
जैतारण (ब्यावर)